

कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर

पत्रांक :.....

दिनांक :.....

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर

विषय : स्कॉलर्स एकेडमी, मिरनपुर, गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर का पत्रांक 87/आ.लि./2024 दिनांक 15-05-2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में स्कॉलर्स एकेडमी, मिरनपुर, गाजीपुर हेतु जॉचोपरान्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

पत्रांक : ..2093/1.2.1.2...

दिनांक : ..06/06/24.....

1. प्रतिलिपि, प्रबन्धक, स्कॉलर्स एकेडमी, मिरनपुर, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम - स्कॉलर्स एकेडमी, मिरनपुर, गाजीपुर

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
भवन की चेकलिस्ट		
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	लागू नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं (प्रथम तल)
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी.) है ?	8251.23 वर्ग मी.
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ / नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ?	7.00 मीटर
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	आर.सी.सी. छत है
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी हैं ?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ / नहीं (लोहे / सीमेण्ट / एल्युमिनियम की ग्रिल है)
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	लागू नहीं
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी., ट्रेड 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. है ?	लागू नहीं
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ

अध्यापिका श्रीमति
आयशा अमियन्ता
प्रा. खण्ड, लो. विभाग वि.
गाजीपुर

कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर

पत्रांक : 2093/1912

दिनांक : 06/06/24

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर

विषय : स्कॉलर्स एकेडमी, मिरनपुर, गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर का पत्रांक 87/आ.लि./2024 दिनांक 15-05-2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में स्कॉलर्स एकेडमी, मिरनपुर, गाजीपुर हेतु जॉचोपरान्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियंता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

पत्रांक :

दिनांक :

1. प्रतिलिपि, प्रबन्धक, स्कॉलर्स एकेडमी, मिरनपुर, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम - स्कॉलर्स एकेडमी, मिरनपुर, गाजीपुर

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
भवन की चेकलिस्ट		
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	लागू नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं (प्रथम तल)
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी.) है ?	8251.23 वर्ग मी.
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ / नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ?	7.00 मीटर
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	आर.सी.सी. छत है
10	क्या भवन की दीवारों ईंट या पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी हैं ?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ / नहीं (लोहे / सीमेण्ट / एल्युमिनियम की ग्रिल है)
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	लागू नहीं
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचें भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी., ट्रेड 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. है ?	लागू नहीं
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे है ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ

अधिकासी अभियन्ता
प्र. ए. ए. सी. सी. ए. विद्यालय
गाजीपुर